न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 60/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1हरकू देवी पत्नी मोडाराम 2संतोष पत्नी खींयाराम 3घेवरी पत्नी पुरखाराम 4मंगी देवी पत्नी लिखमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू तहसील जायल जिला नागौर।		1प्रेमाराम गोद पुत्र फूसकी 2अणची पुत्री पेमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू तहसील जायल 3सरपंच ग्राम पंचायत आकोडा पंचायत समिति जायल।

उपस्थिति –

1श्री ठाकुर प्रसाद राठी वकील अपीलांट्स।
2श्री बाबूलाल खोजा वकील रेस्पोडन्ट सं. 1।

आदेश

दिनांक 10.03.2021

{1}–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार जायल द्वारा प्रेमाराम बनाम अणची प्रकरण सं. 3/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.05.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपील की सुनवाई के दौरान रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वकील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 10.02.2021 को प्रस्तुत किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रार्थना सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि –

{2}(1)– जैर अपील आदेश तहसीलदार जायल द्वारा नामान्तरकरण सं. 207 के संबंध मे पारित किया गया जो आदेश पूर्ण रूप से विवादित आदेश है तथा तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश धारा 135 (2) एलआर एक्ट के अन्तर्गत आता है तथा तहसीलदार द्वारा जो आदेश धारा 135 (2) एलआर एक्ट के तहत पारित किया गया उस आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। इसलिये अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारिज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

{2}(2)– धारा 135 (2) एलआर एक्ट के तहत पारित किये गये आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को है तथा न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिये अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने से इस स्टेज पर ही अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(3)– अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}– वकील अपीलांट्स द्वारा वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का विरोध करते हुए रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अपने तथ्यों का दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{3}(1)– इस प्रकरण मे मूलतः नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा 15.10.2004 को निर्णीत किया गया है। जिसकी अपील होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल ने प्रकरण तहसीलदार जायल को रिमाण्ड किया था। जिस पर आदेश जैर अपील पारित हुआ है, वहां अपीलांट पक्षकार नही थे तथा न ही उन्हे सुना गया है। ऐसा आदेश धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश के अन्तर्गत नही आता है तथा यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

{3}(2)– धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत पारित किये गये आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को नही होकर, न्यायालय हाजा को है। इसलिये इस अपील को क्षेत्राधिकार के बाहर होने से इस स्टेज पर ही खारिज नही किया जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार जायल द्वारा प्रेमाराम बनाम अणची प्रकरण सं. 03/2014 निर्णय दिनांक 05.05.2017 स्वीकार करने से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.05.2017 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल की नामान्तरकरण अपील सं. 6/2014 मे निर्णय दिनांक 1.12.14 के द्वारा वाके डोडू के नामान्तरकरण सं. 207 निर्णय दिनांक 05.10.2004 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिससे यह प्रकट है कि पक्षकारो के बीच विवाद रहा है तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण सं. 3/2014 प्रेमाराम बनाम अणची मे पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 मे दोनो पक्षो की सुनवाई कर पारित किया गया है, ऐसी स्थिति मे प्रकरण विवादित होने से तहसीलदार का आदेश भू अभिलेख अधिकारी के रूप मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) मे ही पारित किया हुआ माना जायेगा। जिसको चुनौती इस न्यायालय मे नही दी जा सकती है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र उचित आधार पर प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रेमाराम का प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2020 स्वीकार कर अपीलांट्स की अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज की जाती है।

{6}– आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर